

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू,



एमसीआईआर

खण्ड XIV | अंक 12 | जून 2019

I. मौद्रिक नीति

1) क) दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति 2019-20

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति 6 जून 2019 को घोषित की गई।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति ने 6 जून 2019 की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि -

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.00 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 5.75 प्रतिशत किया जाए।
- परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.50 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.00 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी।

एमपीसी ने मौद्रिक नीति रुख को तटस्थ से उदार रुख में बदलने का भी निर्णय लिया है।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +2/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।

<https://rbi.org.in/scripts/Annualpolicy.aspx>

1) ख) विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

बैंकों के लिए लिवरेज अनुपात

अत्यधिक लिवरेज के जोखिमों को कम करने के लिए, बैंकिंग पर्यवेक्षण (बीसीबीएस) पर बासल समिति ने बासल III लिवरेज अनुपात (एलआर) को मौजूदा जोखिम-आधारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सरल, पारदर्शी और गैर-जोखिम आधारित उपाय के रूप में बनाया। रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए एलआर पर ढांचे के संदर्भ में, 4.5% के सांकेतिक एलआर पर बैंकों की निगरानी की गई। वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए और बासल III मानकों के साथ सामंजस्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डीएसआईबी) के लिए न्यूनतम एलआर 4% और अन्य बैंकों के लिए 3.5% होना चाहिए।

लघु वित्त बैंकों को मांग पर लाइसेंस

लघु वित्त बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा से पता चलता है कि उन्होंने अपने प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और इस प्रकार वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने जनादेश को प्राप्त किया है। इसलिए छोटे उधारकर्ताओं की बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक खिलाड़ियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। अतः अगस्त 2019 के अंत तक लघु वित्त बैंकों को 'मांग पर' लाइसेंस के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव है।

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
1. मौद्रिक नीति	1
2. ग्राहक प्रशिक्षण और संरक्षण	3
3. समिति रिपोर्ट्स	3
4. बैंकिंग विनियमन	3
5. मुद्रा प्रबंधन	4
6. सरकार का बैंक	4
7. वित्तीय समावेशन	5
8. वित्तीय बाजार	5
9. भुगतान एवं निपटान प्रणाली	6
10. अनुसंधान	6
11. जारी डाटा	7
12. एफएटीएफ का सार्वजनिक विवरण	7

संपादक से नोट

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका माह जून में धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए नए विकासात्मक और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को <https://mcir.rbi.org.in> से एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं को साझा करने, शिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचा

पिछले कुछ वर्षों में, कॉर्पोरेट समूह संरचनाएँ कई लेयरिंग और लीवरेजिंग से अधिक जटिल हो गई हैं, जिसके कारण सार्वजनिक धन तक उनकी पहुँच के कारण वे वित्तीय प्रणाली से अधिक अंतर-संबंध हो गए हैं। आगे, हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, सीआईसी के कॉर्पोरेट शासन ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अनुसार, सीआईसी पर लागू विनियामक दिशानिर्देशों और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा के लिए एक कार्य समूह का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करने के लिए आंतरिक कार्य समूह

विभिन्न बाजार सहभागियों द्वारा चलनिधि की स्थिति का आकलन अलग-अलग तरीके से किया गया है और यह हमेशा अर्थव्यवस्था में वास्तविक प्रणालीगत चलनिधि की स्थिति के अनुरूप नहीं है।

तदनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा मौजूदा चलनिधि प्रबंधन ढांचे की व्यापक समीक्षा करने और उपायों का सुझाव देने, जिसमें दूसरी बातों के अलावा, (i) वर्तमान चलनिधि प्रबंधन ढांचे को सरल बनाने के लिए; और (ii) चलनिधि प्रबंधन के उद्देश्यों, मात्रात्मक उपायों और टूलकिट को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना शामिल है, के लिए एक आंतरिक कार्यसमूह का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

खुदरा प्रतिभागियों के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार मंच

भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआईएल) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है और उपयोगकर्ताओं द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। उपयोगकर्ताओं के लिए अगस्त 2019 की शुरुआत से लेन-देन के लिए मंच उपलब्ध होगा।

मनी मार्केट दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा

जारीकर्ता, निवेशक और अन्य प्रतिभागियों के संदर्भ में उत्पादों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से विभिन्न मनी मार्केट उत्पादों को कवर करने वाले मौजूदा नियमों को युक्तिसंगत बनाए जाने का प्रस्ताव है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा भागीदारी

यह निर्णय लिया गया है कि निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को अपने स्टॉकब्रोकर/अन्य खुदरा प्रतिभागियों की बोलियों को एकत्र करने और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) की प्राथमिक नीलामी के गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के तहत एक समेकित बोली प्रस्तुत करने के लिए एग्जिटेडर्स / फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए। इन उपायों को संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से लागू किया जाएगा।

रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों के लिए प्रभार की समीक्षा

यह निर्णय लिया गया है कि आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियों में संसाधित लेनदेन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए शुल्कों को हटा

दिया जाए। बैंकों से, बदले में, अपेक्षित होगा कि वे इस लाभ को अपने ग्राहकों तक पहुंचाएं।

एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन

जनता द्वारा स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) का उपयोग काफी बढ़ रहा है। हालांकि, एटीएम प्रभार और शुल्क को बदलने की लगातार मांग होती रहती है। इसका समाधान करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की अध्यक्षता में, सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया जाए जो एटीएम प्रभार और शुल्क के पूरे विस्तार की जांच करें।

1) ग) मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3, 4 और 6 जून 2019 को हुई द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त 20 जून 2019 पब्लिक डोमेन में प्रकाशित किए। बैठक में सभी सदस्य - डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, पूर्व प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद; डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी(2)(सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक का अधिकारी); डॉ. विरल वी. आचार्य, उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति प्रभारी उपस्थित हुए और इसकी अध्यक्षता श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर द्वारा की गई। मौद्रिक नीति समिति ने उपभोक्ता विश्वास, परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र का कार्यनिष्पादन, क्रेडिट स्थिति, औद्योगिक, सेवा और बुनियादी सुविधा क्षेत्रों की संभावना तथा व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा करवाए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। एमपीसी ने इन संभावनाओं के विभिन्न जोखिमों के इर्द-गिर्द स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों और वैकल्पिक परिदृश्यों की विस्तृत रूप से भी समीक्षा की। उपर्युक्त पर और मौद्रिक नीति के रुख पर व्यापक चर्चा करने के बाद एमपीसी ने संकल्प अपनाया।

मौद्रिक नीति समिति के सभी सदस्यों ने एकमत से यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.00 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 5.75 प्रतिशत किया जाए और मौद्रिक नीति रुख को तटस्थ से उदार रुख में बदल दिया जाए।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।

II. ग्राहक प्रशिक्षण और संरक्षण

रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा 24 जून 2019 को रिज़र्व बैंक की “शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस)” की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बोलते हुए गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने बताया कि आज लॉन्च किया जा रहा सीएमएस एप्लीकेशन, रिज़र्व बैंक में प्राप्त शिकायतों के समय पर समाधान सुनिश्चित करके शिकायत निवारण प्रक्रिया में ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि मैं इस अवसर पर सभी आरबीआई विनियमित सार्वजनिक संस्थाओं जैसे वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आदि से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ ताकि ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और सार्थक तरीके से समाधान किया जा सके और वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास को बढ़ावा मिले। सीएमएस रिज़र्व बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। आम जनता रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सीएमएस पोर्टल पर जाकर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी संस्था के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सीएमएस की रचना की गई है ताकि शिकायतें ऑन-लाइन दर्ज की जा सकें। यह प्रणाली मामले के अनुसार एसएमएस / ईमेल अधिसूचना(ओं) के माध्यम से प्राप्ति-सूचना, यूनिक पंजीकरण संख्या के माध्यम से स्थिति ट्रैकिंग, समापन सूचना की रसीदें और अपील दर्ज करने जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। यह ग्राहक से अनुभव संबंधी स्वैच्छिक प्रतिक्रिया भी प्राप्त करती है। सीएमएस में पोर्टल के उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए स्व-सहायता सामग्री (वीडियो प्रारूप में) के साथ सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं और रिज़र्व बैंक की विनियामक पहलों पर वीडियो भी है। सीएमएस के माध्यम से ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए यह प्रणाली विनियमित संस्थाओं को अपने प्रधान नोडल अधिकारियों / नोडल अधिकारियों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने की सुविधा प्रदान करती है। शिकायत निवारण करनेवाले रिज़र्व बैंक अधिकारियों के लिए सीएमएस में शिकायत निवारण की प्रगति को ट्रैक करने की सुविधा उपलब्ध है। सीएमएस की शुरुआत के साथ, रिज़र्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल (बीओ) और उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्षों (सीईपीसी) के कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई को डिजिटल कर दिया गया है।

III. समिति रिपोर्ट्स

III) क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

श्री यू. के. सिन्हा की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति ने 18 जून 2019 को अपनी रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक

को प्रस्तुत की। एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए दीर्घकालिक समाधान सुझाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2019 में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने सिफारिशें प्रस्तुत की हैं जो कई कार्यक्षेत्रों से संबन्धित हैं। समिति की रिपोर्ट को यहां [क्लिक](#) करके देखा जा सकता है।

III) ख) भारत में भुगतान प्रणाली की बैंचमार्किंग

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्य प्रमुख देशों की भुगतान प्रणालियों और उपयोग के रुझान के सापेक्ष भारत में भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र की तुलनात्मक स्थिति प्रदान करने के उद्देश्य से 4 जून 2019 को भारत में भुगतान प्रणाली की बैंचमार्किंग पर एक रिपोर्ट जारी की।

रिज़र्व बैंक ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और ब्रिक्स राष्ट्रों की भुगतान प्रणालियों के साथ भारत में भुगतान प्रणाली की बैंचमार्किंग के अभ्यास की शुरुआत की है। इस विश्लेषण में 41 संकेतकों के तहत 21 व्यापक क्षेत्रों को शामिल करने का प्रयास किया गया, जिसमें विनियमन, निरीक्षण, भुगतान प्रणाली, भुगतान साधन, भुगतान का बुनियादी ढांचा, उपयोगिता भुगतान, सरकारी भुगतान, ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण, प्रतिभूति निपटान और समाशोधन प्रणाली और सीमा पार व्यक्तिगत प्रेषण शामिल हैं।

अध्ययन में पाया गया कि भारत की सक्षम विनियामक प्रणाली और मजबूत बड़े मूल्य और खुदरा भुगतान प्रणालियों ने लेनदेन की मात्रा की तेज वृद्धि में योगदान दिया है। मोबाइल नेटवर्क के संदर्भ में सरकार द्वारा ई-भुगतान और डिजिटल बुनियादी ढांचे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए कागजी समाशोधन की मात्रा को कम करने और स्वीकृति के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत में भुगतान प्रणाली की बैंचमार्किंग पर पूरी रिपोर्ट को यहां [क्लिक](#) करके देखा जा सकता है।

IV. बैंकिंग विनियमन

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क को 7 जून 2019 को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया। दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विनियामक दृष्टिकोण के आधारभूत सिद्धांत निम्नानुसार हैं:

- बैंकों, एफआई और एनबीएफसी द्वारा बड़े उधारकर्ताओं के संबंध में चूक की शीघ्र पहचान और रिपोर्टिंग;
- निर्दिष्ट समयसीमा और स्वतंत्र ऋण मूल्यांकन के अधीन पूर्व की समाधान योजनाओं (एस4ए, एसडीआर, 5/25 आदि) के अधिक्रमण में समाधान योजनाओं के स्वरूप और कार्यान्वयन के संबंध में ऋणदाताओं को पूर्ण विवेकाधिकार;

- समाधान योजना के कार्यान्वयन में विलंब या दिवालिया कार्यवाही आरंभ करने हेतु अतिरिक्त प्रावधान के रूप में दंडात्मक कार्यवाही प्रणाली;
- पुनर्संरचना के बाद आस्ति वर्गीकरण व्यवस्था का वापस लिया जाना। एक उचित अवधि के लिए संतोषजनक निष्पादन के सार्थक प्रदर्शन पर निर्भर आकस्मिक भावी उन्नयन;
- पुनर्संरचना के उद्देश्य से, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ 'वित्तीय समस्या' की परिभाषा को अनुरूप किया जाएगा; तथा,
- सभी ऋणदाताओं द्वारा अंतर-लेनदार समझौते (आईसीए) पर अनिवार्यतः हस्ताक्षर किए जायेंगे, जिससे अधिकांश निर्णायक मापदंड उपलब्ध हो जाएंगे।

नए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के बारे में अधिक विवरणों को यहां [क्लिक](#) करके देखा जा सकता है।

V. मुद्रा प्रबंधन

V) क) एटीएम हेतु सुरक्षा उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 जून 2019 को एटीएम परिचालन में जोखिम को कम करने तथा सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ उपायों को अधिसूचित किया। उपायों को डॉ. डी.के. मोहंती, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में गठित मुद्रा आवाजाही पर एक समिति की सिफारिशों की जांच के बाद जारी किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पारगमन में खजाने की सुरक्षा के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने हेतु इस समिति का गठन किया था। कुछ उपायों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है :

- सभी एटीएम नकदी पुनःपूर्ति हेतु केवल डिजिटल वन टाइम कॉम्बिनेशन (ओटीसी) लॉक के साथ परिचालित किए जाएंगे।
- हवाई अड्डे आदि जैसे उच्च सुरक्षा परिसरों, जहां पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज हो तथा राज्य / केंद्रीय सुरक्षा कार्मिकों द्वारा संरक्षित हो, के अतिरिक्त सभी एटीएम 30 सितंबर 2019 तक एक संरचना (दीवार, स्तम्भ, फर्श आदि) से ग्राउट किए जाएंगे।
- बैंक, समय पर अलर्ट तथा त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, एटीएम में व्यापक ई-निगरानी तंत्र को कार्यान्वित करने पर भी विचार कर सकते हैं।

उपरोक्त उपायों को भारतीय रिज़र्व बैंक तथा कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जारी मौजूदा अनुदेशों, प्रथाओं तथा मार्गदर्शन के अतिरिक्त लागू किया जाएगा। अधिक जानकारी को यहां [क्लिक](#) करके देखा जा सकता है।

V) ख) जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 जून 2019 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि लोग रिज़र्व बैंक द्वारा प्रचलन में

लाए गए सभी सिक्कों को स्वीकार करना जारी रख सकते हैं, जो भारत सरकार द्वारा ढाले गए हैं। यह सूचना मिली है कि कुछ स्थानों पर, ऐसे सिक्कों की वास्तविकता के बारे में संदेह के परिणामस्वरूप कुछ व्यापारियों, दुकानदारों और जनता के बीच इन सिक्कों को स्वीकारने के लिए अनिच्छा दिखाई देती है, जिससे देश के कुछ क्षेत्रों में सिक्कों के सहज प्रयोग और प्रचलन पर रोक लग जाती है। रिज़र्व बैंक जनता से अपील करता है कि जनता ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करें और इन सिक्कों को बिना किसी झिझक के अपने सभी लेन-देन में वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करना जारी रखें। इन सिक्कों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। समय-समय पर सिक्के नए मूल्यवर्ग में जनता की लेनदेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए और नए डिजाइनों में विभिन्न विषयों - आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए जारी किए जाते हैं। चूंकि सिक्के लंबी अवधि तक प्रचलन में रहते हैं, विभिन्न डिजाइनों और आकृतियों के सिक्के एक ही समय में परिचालित होते रहते हैं। वर्तमान में, 50 पैसे के सिक्के, ₹ 1/-, ₹ 2/-, ₹ 5/- और ₹ 10/- के मूल्यवर्ग के विभिन्न आकार, विषय और डिजाइनवाले सिक्के प्रचलन में हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अलग से एक बार फिर निदेश जारी किए हैं कि वे अपनी सभी शाखाओं में लेन-देन और विनिमय के लिए सिक्के स्वीकार करें, जैसाकि दिनांक 2 जुलाई 2018 के पत्र डीसीएम (एनई) संख्या जी-2/08.07.18/2018-19 द्वारा सूचित किया गया था तथा इस पत्र को 14 जनवरी 2019 को अद्यतित किया गया था। कृपया अधिक जानकारी के लिए यहां [क्लिक](#) करें।

VI. सरकार का बैंकर

एजेंसी कमीशन - संशोधन और विवेकीकरण

समीक्षा के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि 01 जुलाई 2019 से, पात्र सरकारी लेनदेन पर एजेंसी कमीशन दरों को पृष्ठ 5 पर दी गई तालिका के अनुसार किया जाए। इसके अलावा, दावा प्रक्रिया की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि केंद्रीकृत दावा प्रस्तुतीकरण की वर्तमान प्रक्रिया को इस प्रणाली के साथ बदल दिया जाए जिसके जरिए यथास्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर द्वारा एजेंसी कमीशन के साथ-साथ लागू जीएसटी (वर्तमान 18%) का भुगतान किया जाएगा। 1 जुलाई 2019 से किए गए पात्र सरकारी लेनदेनों के लिए एजेंसी बैंक ऊपर प्रदर्शित संशोधित एजेंसी कमीशन की दरों के अनुसार लागू जीएसटी सहित एजेंसी कमीशन का दावा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान अनुदेशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में प्रस्तुत करेंगे। एजेंसी कमीशन का भुगतान करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लागू जीएसटी पर स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी। तथापि, 30 जून 2019 तक एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए पात्र सरकारी लेनदेनों के लिए एजेंसी बैंक पहले की तरह एसटी/जीएसटी की प्रतिपूर्ति के दावों के लिए एजेंसी कमीशन के दावे प्रस्तुत करते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए यहां [क्लिक](#) करें।

एजेंसी कमीशन दर				
क्र. सं.	लेनदेन का प्रकार	ईकार्ड	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	प्राप्तियां- भौतिक	प्रति लेनदेन	₹ 50/-	₹ 40/-
2	प्राप्तियां- ई- मोड	प्रति लेनदेन	₹ 12/-	₹ 9/-
3	पेंशन भुगतान	प्रति लेनदेन	₹ 65/-	₹ 75/-
4	पेंशन के अलावा अन्य भुगतान	प्रति ₹ 100 टर्नओवर	₹ 5.5 पैसे	₹ 6.5 पैसे

VII. वित्तीय समावेशन

VII) क) वित्तीय साक्षरता सप्ताह

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 जून से 7 जून 2019 तक वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय के समन्वय और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 मनाया। एफ़एलडब्ल्यू 2019 का विषय 'किसानों के लिए वित्तीय शिक्षा' है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह एक केंद्रित अभियान के माध्यम से हर साल प्रमुख विषयों पर वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक की एक पहल है। वित्तीय साक्षरता पहलों के हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक ने किसानों और अन्य लक्षित समूहों के लाभ के लिए 13 भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगाली, अंग्रेज़ी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में पुस्तिकाओं के रूप में एक स्पष्ट और आकर्षक सामग्री बनाई है। दर्शकगण एसएचजी, किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, उद्यमियों और छात्रों जैसे विभिन्न लक्षित समूहों के थे। इस आयोजन को राज्य सरकारों, वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों, नाबार्ड के अधिकारियों और गांवों और किसान क्लबों के अधिकारियों की भागीदारी से चिह्नित किया गया।

VII) ख) बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 जून 2019 को बुनियादी बचत बैंक जमा खाता से जुड़ी सुविधाओं में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। रिज़र्व बैंक द्वारा न्यूनतम खाता शेष की आवश्यकता के बिना, बीएसबीडी खाते में निम्नलिखित न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं निःशुल्क देने के लिए सूचित किया गया है।

- बैंक की शाखा के साथ-साथ एटीएम/सीडीएम में नकदी जमा।
- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनल से या केंद्र/ राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा आहरित चेकों के जमा/ संग्रहण के माध्यम से धन प्राप्ति/ जमा।

- एक माह के दौरान जमा करने की संख्या तथा मूल्य पर कोई पाबंदी नहीं।
- एक माह के अंदर एटीएम निकासियों सहित न्यूनतम चार निकासियों की अनुमति।
- एटीएम कार्ड अथवा एटीएम-सह-डेबिट कार्ड की सुविधा।

बुनियादी बचत बैंक जमा खाता(बीएसबीडी) को सभी के लिए उपलब्ध एक सामान्य बैंकिंग सेवा माना जाए। बैंक उपर्युक्त न्यूनतम सुविधाओं के अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें चेक बुक जारी करना शामिल है, जो मूल्य आधारित (भेदभाव रहित तरीके से) हो सकती/ नहीं हो सकती है, जो प्रकटीकरण के अधीन भी हैं। तथापि बैंक ऐसी अतिरिक्त सेवाओं का प्रस्ताव करने पर भी ग्राहक से न्यूनतम शेष राशि की अपेक्षा नहीं रखेंगे। बीएसबीडी खाते के धारक उसी बैंक में कोई अन्य बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे और बीएसबीडी खाता बैंक खाते खोलने के लिए केवाईसी/ एएमएल पर आरबीआई के अनुदेशों के अधीन होगा। बीएसबीडीए संबंधी अनुदेश पर अतिरिक्त जानकारी हेतु यहाँ [क्लिक](#) करें।

VIII. वित्तीय बाजार

VIII) क) वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक दिशानिर्देश, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 जून 2019 को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत, वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2019 जारी किए। रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय साधनों के लिए बाजारों में 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' प्रशासित करने वाले वित्तीय बेंचमार्क प्रशासकों पर ये दिशानिर्देश लागू होंगे। 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में एक बेंचमार्क की पहचान घरेलू वित्तीय बाजारों में बेंचमार्क के उपयोग, दक्षता और प्रासंगिकता पर आधारित होगी। महत्वपूर्ण बेंचमार्क प्रशासित करने वाले वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक इनका अनुपालन करें ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि बेंचमार्क प्रशासन प्रक्रिया के संबंध में अभिशासन दिशानिर्देशों के स्वीकृत मानकों, मानकों की गुणवत्ता, कार्यप्रणाली की गुणवत्ता और जवाबदेही का विधिवत रूप से अनुपालन किया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 05 अक्टूबर 2018 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की थी कि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों में वित्तीय बेंचमार्क के लिए वह एक विनियामक ढांचा प्रस्तुत करेगा। जारी किए जा रहे इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य बेंचमार्क प्रक्रियाओं के अधिकार में सुधार करना, बेंचमार्क प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और बेंचमार्क का दुरुपयोग रोकना है। यहाँ [क्लिक](#) करके आरबीआई की वेबसाइट पर निर्देशों को देखा जा सकता है।

VIII) ख) रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स दिशानिर्देश, 2019

रिज़र्व बैंक ने 26 जून 2019 को रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2019 जारी किए। एक्सचेंजों पर कारोबार किए जाने वाले उत्पादों सहित प्रत्येक उत्पाद के लिए अब तक ब्याज दर डेरिवेटिव संबंधी विनियमनों को अलग से जारी किया गया है। बाजार के विकास को देखते हुए, अब उत्पादों के डिजाइन और नवाचार में एक्सचेंजों और बाजार निर्माताओं के लिए लचीलेपन की अनुमति देने की आवश्यकता महसूस की गई है, जबकि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन डेरिवेटिव बाजारों का उपयोग करने वाले अपेक्षाकृत अल्प जानकारी प्राप्त प्रतिभागी पर्याप्त रूप से संरक्षित हों। इन दिशानिर्देशों ने ब्याज दर डेरिवेटिव पर जारी सभी पिछले विनियमनों को समेकित, तर्कसंगत और सरल बनाया है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

IX. भुगतान एवं निपटान प्रणाली

IX) क) केन्द्रीय प्रतिपक्षों के लिए दिशानिर्देश

समीक्षा के बाद, 12 जून 2019 को रिज़र्व बैंक ने 15 अक्टूबर 2018 की घरेलू केंद्रीय प्रतिपक्षों के नियंत्रण फ्रेमवर्क संबंधी पूर्व के दिशानिर्देशों में संशोधन किया। संशोधन/ आशोधन के अनुसार, निदेशक, नामित निदेशक, स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा को संशोधित कर 70 साल कर दिया गया है। प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष तक जारी रहेगी। केंद्रीय प्रतिपक्षों के कामकाज को नियंत्रित करने वाले अद्यतन निर्देश यहाँ [क्लिक](#) करके देखे जा सकते हैं।

IX) ख) एनईएफटी और आरटीजीएस प्रभारों में छूट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 जून, 2019 को, आरटीजीएस प्रणाली का उपयोग करके किए गए बाहरी लेनदेन के लिए बैंकों पर लगाए गए प्रसंस्करण शुल्क और अलग-अलग समय शुल्कों और एनईएफटी प्रणाली में लेनदेन के लिए लगाए गए प्रसंस्करण शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है, जो 1 जुलाई 2019 से प्रभावी होगी। डिजिटल निधि आंदोलन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है और बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने ग्राहकों को आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियों का उपयोग करते हुए लेन-देन के लाभ प्रदान करें। अधिक जानकारी के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

IX) ग) एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 जून 2019 को बैंकरहित क्षेत्रों में एटीएम विस्तार के लिए प्रोत्साहन देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक एटीएम इंटरचेंज

शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। श्री वी.जी. कण्णन, मुख्य कार्यपालक, भारतीय बैंक संघ की अध्यक्षता में गठित समिति एटीएम शुल्क और शुल्क के संपूर्ण सरगम की समीक्षा करेंगे। समिति में श्री दिलीप अस्बे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम; श्री गिरि कुमार नायर, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक; श्री एस संपत कुमार समूह प्रमुख, देयता उत्पाद, एचडीएफसी बैंक लि.; श्री के. श्रीनिवास, निदेशक, एटीएम उद्योग परिषद और श्री संजीव पटेल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टाटा कम्प्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड शामिल हैं। समिति के अन्य विवरण जैसे संदर्भ की शर्तें इत्यादि को यहाँ [क्लिक](#) करके देखा जा सकता है।

IX) घ) भुगतान प्रणाली डाटा संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) ने रिज़र्व बैंक से समय-समय पर कुछ कार्यान्वयन मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा है। रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल 2018 को अपने निर्देश द्वारा सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित संपूर्ण डाटा केवल छह महीने की अवधि के भीतर में भारत में संग्रहीत किया जाए। एफएक्यू का उद्देश्य दिशा की प्रयोज्यता, भुगतान डाटा को संग्रहित करने का स्थान, डाटा के संबंध में स्पष्टीकरण, जिसे संग्रहीत करने की आवश्यकता होती है, सीमा पार लेनदेन से संबंधित डाटा का भंडारण, भुगतान लेनदेन का प्रसंस्करण, आदि जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालना है। विस्तृत एफएक्यू को यहाँ [क्लिक](#) करके देखा जा सकता है।

X. अनुसंधान

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न सर्वेक्षणों के निष्कर्ष प्रकाशित किए :

X) क) समष्टि आर्थिक संकेतकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक द्वारा पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण (एसपीएफ) सितंबर 2007 से किया जाता रहा है। मई 2019 में संचालित सर्वेक्षण के 58 वें चक्र में छब्बीस पैनलकारों ने भाग लिया। सर्वेक्षण परिणामों को उनके मीडियन पूर्वानुमानों के संदर्भ में संक्षेपित किया गया है और अनुलग्नक 1-7 में समेकित किया गया है, जिसके साथ मुख्य परिवर्तियों (मुख्य-वैरिएबल्स) के लिए तिमाही पथ दिया गया है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष यहाँ [क्लिक](#) करके देखे जा सकते हैं।

X) ख) उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण(सीसीएस)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 जून 2019 को उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस)के मई 2019 चक्र के परिणाम जारी किए। सर्वेक्षण के निष्कर्ष यहाँ [क्लिक](#) करके देखे जा सकते हैं।

X) ग) परिवारों की मुद्रास्फिति अपेक्षाओं का सर्वेक्षण

रिजर्व बैंक ने 06 जून 2019 को परिवारों की मुद्रास्फिति अपेक्षाओं के सर्वेक्षण (आईईएसएच) के मई 2019 चक्र के परिणाम जारी किए। सर्वेक्षण के निष्कर्ष यहां [क्लिक](#) करके देखे जा सकते हैं।

XI. जारी डाटा

XI) क) तिमाही बीएसआर -1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 जून 2019 को 'तिमाही बीएसआर -1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण - दिसंबर 2018' नामक अपना वेब प्रकाशन भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी अपने डाटाबेस (डीबीआई) नामक पोर्टल पर जारी किया। वेब प्रकाशन को यहां [क्लिक](#) करके देखा जा सकता है।

XI) ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा - राशि और ऋण की तिमाही सांख्यिकी

भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मई 2019 को 'अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा - राशि और ऋण पर तिमाही सांख्यिकी - मार्च 2019' का प्रकाशन अपने भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाटाबेस (डीबीआई) नामक पोर्टल पर जारी किया। सांख्यिकी को यहां [क्लिक](#) करके देखा जा सकता है।

क्या आपकी बैंकिंग की शिकायत का समाधान नहीं हो रहा?

आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कीजिए - बैंकिंग का यई अंपावर



उमेश गान्धर्व
संयोजक, बैंकिंग और आरबीआई कंसल्टेंट

के.एस. राहुल
संयोजक, बैंकिंग और आरबीआई कंसल्टेंट

- यदि बैंक आपकी शिकायत का समाधान एक महीने में आपकी संतुष्टि के अनुसार नहीं करता है, तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कीजिए
- बैंकिंग लोकपाल योजना नि:शुल्क और बिना परेशानी के आपकी बैंकिंग शिकायतों को सुलझाने का आसान तरीका है
- बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकिंग सेवाओं में व्याप्त कर्मियों को संबोधित करता है

आरबीआई कहता है:
जालकाट बसिए,
सतर्क रहिए!

जयशंकर प्रसाद
भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

बैंकिंग शिकायतों के लिए, 14440 पर निशुल्क कॉल करें या
<https://bankingombudsman.rbi.org.in> करें
इस विषय पर संपर्क देने के लिए, rbi@rbi.org.in को लिखें

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) का सार्वजनिक विवरण

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) ने अपने सदस्यों और अन्य अधिकारक्षेत्रों की बैठक बुलाई है जिससे कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) के अधिकारक्षेत्र से उत्पन्न चालू और उल्लेखनीय धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण (एमएल/एफटी) के जोखिमों से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की रक्षा करने के लिए प्रतिपक्षीय उपाय लागू किए जा सकें। ईरान का अधिकारक्षेत्र अपने सदस्यों पर एफएटीएफ कॉल के अधीन है जिससे कि इस अधिकारक्षेत्र से उभरने वाले जोखिमों के अनुपात में संवृद्धित सावधानी उपायों को लागू किया जा सके। एफएटीएफ ने आगे निम्नलिखित अधिकारक्षेत्रों की पहचान की है कि जिनके अंदर कार्यनीतिक कमियां हैं और इनके निपटान के लिए एफएटीएफ के साथ एक कार्ययोजना विकसित की है। ये अधिकारक्षेत्र हैं- बहामास, बोत्सवाना, कंबोडिया, इथियोपिया, घाना, पाकिस्तान, पनामा, श्रीलंका, सीरिया, त्रिनिदाद और टोबैगो, ट्यूनीशिया और यमन।

यह सूचना अद्यतित सार्वजनिक विवरण और 21 जून 2019 को एफएटीएफ द्वारा जारी दस्तावेज में उपलब्ध है। इस विवरण और दस्तावेज को निम्नलिखित यूआरएल पर एक्सेस किया जा सकता है:

- <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/public-statement-june-2019.html> और
- <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2019.html>

एफएटीएफ प्लेनरी ने धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद का मुकाबला करने में कार्यनीतिक कमी वाले अधिकारक्षेत्रों के संबंध में सार्वजनिक विवरण और दस्तावेज जारी किया है जिसका शीर्षक है - 'वैश्विक एएमएल/सीएफटी अनुपालन में सुधार करना: सतत प्रक्रिया'। उक्त विवरण और दस्तावेज एफएटीएफ की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इस प्रकार की सूचना विनियमित संस्थाओं को उपर्युक्त देशों और अधिकारक्षेत्रों के साथ वैध व्यापार और कारोबारी लेनदेन करने के लिए नहीं रोकती है।

एफएटीएफ के बारे में

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना इसके सदस्य देशों के मंत्रियों द्वारा 1989 में की गई थी। एफएटीएफ का उद्देश्य धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से लड़ने के लिए मानक निर्धारित करना और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। एफएटीएफ आवश्यक उपायों को लागू करने में अपने सदस्यों की प्रगति की निगरानी करता है, धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण की तकनीकों तथा प्रतिपक्षीय उपायों की समीक्षा करता है।